न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/385/2017

उनवान

1. राजेश आत्मज स्व0 बंशी लाल पाठक, निवासी सांगानेरी गेट, भीमगंज दरवाजे के बाहर, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा
2. संजय आत्मज स्व0 बंशी लाल पाठक, निवासी सांगानेरी गेट, भीमगंज दरवाजे के बाहर, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा
3. श्रीमति शकुन्तला पत्नी स्व0 बंशी लाल पाठक, निवासी सांगानेरी गेट, भीमगंज दरवाजे के बाहर, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. मैसर्स मोती मेटल इण्स्ट्रीज, भीलवाडा जरिये भागीदार बनवारी लाल पुत्र मोती लाल पाठक (मृतक) के बजाय मोहित आत्मज श्री बनवारी लाल पाठक निवासी वीर सावरकर चौक के पास, भोपालगंज, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा
2. रमेश चन्द्र पुत्र मोती लाल पाठक निवासी सांगानेरी गेट, भीमगंज दरवाजे के बाहर, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा
3. नसरूद्दीन खां पुत्र रमजुद्दीन मुसलमान निवासी बहाला,जुनावास, भीलवाडा मृतक के बजाय :–
   3/1 श्रीमति सुगरा पत्नि स्व0 नसरूद्दीन खां पठान निवासी बहाला, जुनावास, भीलवाडा, तहसील व जिला भीलवाडा
   3/2 मुन्ना खां पुत्र नसरूद्दीन खां पठान निवासी बहाला, जुनावास, भीलवाडा, तहसील व जिला भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3/3 मोहम्मद रफीक पुत्र नसरूद्दीन खां पठान निवासी बहाला, जुनावास, भीलवाडा, तहसील व जिला भीलवाडा
3/4 आरिफ खां पुत्र नसरूद्दीन खां पठान निवासी बहाला, जुनावास, भीलवाडा, तहसील व जिला भीलवाडा
3/5 श्रीमति जमीला खानम पत्नी बबलु खा पुत्री नसरूद्दीन खां पठान निवासी हाल देवगढ मदारिया, तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

4. मनोहर लाल बापना अध्यक्ष/सचिव, तेरापंथ संस्थान, भीलवाडा निवासी काशीपुरी, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के
प्रकरण संख्या 72/2017 निर्णय दिनांक 28.11.2017

अधिवक्तागण :—

1. श्री एम एस त्रिपाठी , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2 श्री गोपाल अजमेरा,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 3/2 से 3/4
3.श्री जे सी दाधीच,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1,2, 3/1,3/5
4. .श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 1.5.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम भीलवाडा में विपक्षी—वादीगण एवं प्रार्थी/प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 एवं विपक्षी/प्रतिवादीगण संख्या 3व 4 के संयुक्त खातेदारी अधिकार की भूमि आराजी नम्बर क्रमशः

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1988 रकबा 0.02 बीघा एवं आराजी नम्बर 1989 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा भूमि राजस्व अधिकार अभिलेख में दर्ज है। मैसर्स मोती मेटल इण्डस्ट्रीज के भागीरादान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 थे। इसी प्रकार आराजी नम्बर 1989/1 रकबा 0.08 बीघा भूमि जो तथ्यतः आराजी नम्बर 1989 से ही कायम किये गये और पक्षकारान के खातेदारी की थी, में से 8 बिस्वा भूमि अन्तरण कर दिये जाने से दिगर व्यक्तियों के पक्ष में पृथक से खाता खोला गया जिसके खाता संख्या 130 कायम हुए। उक्त आराजियात भीलवाडा शहर की घनी आबादी के मध्य अवस्थित होने से वादी/विपक्षी संख्या 1, 2, व 3 ने भूखण्ड काटकर प्लान बनाकर समय–समय पर भिन्न–भिन्न व्यक्तियों को विक्रय कर दिये । ऐसे अन्तरित भूखण्डों का क्षेत्रफल तीन बीघा साढे चौदह बिस्वा बनता है तथा इन भूखण्डों के प्लान के हिसाब से आवागमन के लिए रोड/सार्वजनिक रास्ते के लिए पक्षकारान द्वारा दो बीघा साढे सात बिस्वा भू भाग रास्ते के लिए छोडा गया । इस प्रकार उक्त दोनों मदों का क्षेत्रफल 6 बीघा 02 बिस्वा बनता है। इस प्रकार सारे रकबे को कम करने के बाद आराजी नम्बर 2989 में से 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि अवशेष बचती है। जिसके विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद वादी विपक्षी संख्या 2 ने पस्तुत कया । उक्त वाद वर्तमान में भी विचाराधीन होकर उसमें साक्ष्य प्रतिवादी हेतु आगामी तिथि दिनांक 29.5.20178 नियत है। उक्त वाद में विपक्षी/प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से इकबाली जवाब दावा दिनांक 10.10.2006 को प्रस्तुत किया गया एवं वादग्रस्त आराजियात के विभाजन की सहमति दी गई।

2. वाद के विचारण के दौरा अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह भली प्रकार से प्रकट हो गया कि मैसर्स मोती मेटल इण्डस्ट्रीज की ओर से श्री बनवारी लाल पुत्र स्व0 मोती

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

लाल पाठक भागीदार नहीं था, जिसके द्वारा कि मोती मेटल इण्डस्ट्रीज के भागीदार की हैसियत से वाद प्रस्तुत किया गया । जो भूखण्ड विक्रय किये गय उनके विक्रय की प्रतिफल राशि का भुगतान भागीदारों के मध्य बराबर बराबर किया गया हो यह भी प्रमाणित नहीं होता है । इस कारण वादी/विपक्षीगण व प्रतिवादी/विपक्षीगण को यह पूरा पूरा विश्वास हो गया था कि जिन आराजियात का विभाजन का वाद वे लेकर आये हैं वे अवशेष आराजियात प्रतिवादी/प्रार्थीगण के हक एवं हिस्से की रह गई है। इस कारण प्रतिवादीगण येन–केन प्रकारेण अवशेष आराजियात के भूखण्डों को अन्य व्यक्तियों को अन्तरित करने के लिए उद्यत है। वादी/विपक्षीगण एवं प्रतिवादी /विपक्षी संख्या 3 के विधिक प्रतिनिधि आपस में दुरभिःसंधि में है तथा येन–केन प्रकारेण वादग्रस्त आराजी के अवशेष रकबा के भूखण्डों को विक्रय करने को आमादा है। इसी अनुक्रम में प्रतिवादी/विपक्षी संख्या 3 के विधिक प्रतिनिधियों ने दिनांक 10.8.2016 को वादग्रस्त आराजी में से 3 बिस्वा भू भाग को भूखण्ड संख्या 58 व 68 नम्बर दर्शाते हुए आपसी सहमति से विभाजन नामा दिनांक 14.8.1993 के आधार पर 10,00,000/–रूपये में विक्रय कर दिया एवं वादी विपक्षी संख्या 1 मोहित पाठक व 2 रमेश चन्द्र पाठक ने अपनी साख अंकित कर दी । ऐसी स्थिति में प्रार्थी/विपक्षीगण को यह पूरी पूरी आशंका है कि वादी विपक्षीगण एवं प्रतिवादी/विपक्षीगण आपस में दुरभिःसंधि के तहत अवशेष भू भाग को भी अन्य व्यक्तियों को कभी भी अन्तरित कर सकते हैं। यहॉ यह निवेदन करना भी सुसंगत होगा कि वादी विपक्षीगण एवं प्रतिवादी विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के कुछ भू भागों पर जबरन शक्ति के बल पर एवं राजनैतिक प्रश्रय प्राप्त कर चारदिवारी का निर्माण कर अपना कब्जा बताकर, कब्जे के आधार पर विक्रय करने हेतु उद्यत है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3. प्रार्थी/प्रतिवादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है प्रार्थी/प्रतिवादी के पूर्वाधिकारी बंशी लाल पाठक मैसर्स मोती मेटल इण्डस्ट्रीज के पंजीकृत भागीदार थे जिनकी मृत्यु दिनांक 1.3.1995 को हो गई थी। जिनके तथाकथित विभाजन नामा दिनांक 14.8.1993 पर किसी प्रकार की कोई सहमति के हस्ताक्षर नहीं है। प्रार्थी प्रतिवादीगण मृतक भागीदार बंशीलाल के विधिक प्रतिनिधि है। इसके अतिरिक्त भी प्रार्थी/प्रतिवादीगण पंजीकृत भागीदार स्व0 श्रीमति गौर बाई पत्नि बिहारी लाल जी पाठक एवं भागीदार मोती लाल आत्मज बिहारी लाल पाठक के भी विधिक प्रतिनिधिगण है। जिनके हिस्से में से भी प्रार्थी/प्रतिवादीगण को हिस्सा प्राप्त होना है। मौके पर कुलिया आराजी 8 बीघा 2 बिस्वा में से 2 बीघा 2 बिस्वा रकबा ही अवशेष है। जिसमें वादी/विपक्षीगण एवं प्रतिवादी/विपक्षीगण का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नहीं है। सम्पूर्ण रकबे को वादी/विपक्षीगण एवं प्रतिवादी/विपक्षीगण द्वारा विक्रय किया जा चुका है । इन तथ्यों एवं परिस्थितियों में सुविधा का संतुलन भी प्रतिवादी/प्रार्थीगण के पक्ष में है । अतः मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि के किसी भी हिस्से पर किसी प्रकार का कोई निर्माण अथवा चारदिवारी निर्माण नहीं करावे एवं न ही वादग्रस्त भूमि के किसी भू भाग को किसी अन्य व्यक्ति को अथवा किसी को किसी अन्य प्रकार से अन्तरित नहीं करें एवं न ही भारित करे।

4. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि में विहित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना ही मामले का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया । अपीलाधीन मामले में पक्षकारान की तामील होने के पश्चात उनका जवाब प्रस्तुत होना अवशेष था । प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से कोई जवाब पेश नहीं हुआ एवं न ही उनकी जवाबदेही बन्द करने का कोई आदेश ही इस मामले में पारित किया गया । प्रत्यर्थी संख्या 3/1 लगायत 3/4 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 141 सिविल प्रक्रिया संहिता का विचाराधीन था । जिसका जवाब अपीलार्थीगण की ओर से दिनांक 24.4.2017 को प्रस्तुत कर दिया गया , उसकी बहस सुनी गई एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की बहस सुनी गई थी। जिस पर आदेश पारित किया जाना था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने न तो आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया एवं न ही अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत कोई आदेश पारित किया । इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय ने मूल आवेदन ही बना किसी औचित्य एवं आधार के निस्तारित करते हुए अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन को निरस्त कर दिया । इस प्रकार बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत नहीं होकर खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह माना है कि वादग्रस्त आराजियाता संयुक्त खातेदारी अधिकार की है

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

एवं इन आराजियात के संबंध में विभाजन का वाद अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत है। ऐसी स्थिति में किसी एक पक्ष द्वारा संयुक्त खातेदारी अधिकार की आराजी का कोई भू भाग न्यायालय की अनुज्ञा के बिना विक्रय नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थीगण ने आपस मे दुरभिसंधि कर वादग्रस्त आराजियात का 3 बिस्वा भू भाग श्रीमती शरीफा बाई बोहरा को विक्रय कर दिया तथा अन्य भू भाग को भी विक्रय करने को उद्यत थे। इसी कारण अपीलार्थीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी मामले में जब विभाजन का वाद विचाराधीन हो तो उस वाद से संबंधित सम्पति को प्रोटेक्ट करने के प्रयोजन से मूल वाद के अंतिम निस्तारित होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिये । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के विभाजन के संबंध में वाद विचाराधीन होना मानते हुए भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कर अपीलार्थीगण को आवेदन को निरस्त करने में भारी विधिक भूल की गई है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण डब्ल्यू एल सी 2016 (राजस्थान) यू सी 39 अशोक कुमार बनाम पवन कुमार , डी एन जे 2017 (3) राजस्थान पेज 1247, कमला शंकर बनाम श्रीमती प्रेम देवी व अन्य, की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने तथा अपीलार्थीगण के पक्ष में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया ।

8. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने मूल दावे में जो अनुतोष नहीं चाहा है वह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पहले इस बिन्दु पर विचारण किया जाना आवश्यक था। अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्यों के बाबत सिविल न्यायालय मे वाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें अपीलाण्ट को स्थगन मिला हुआ है।

9. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी में प्रत्यर्थीगण के हिस्से पर स्थगन चाहा है जबकि धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरणों में काश्तकार अपना शेयर विक्रय कर सकता है। खातेदार काश्तकार को अपना शेयर विक्रय करने पर विधिक रोक नहीं है।

10. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी 1988 एवं 1989 कुल 7 बीघा 18 बिस्वा में से 2 बीघा 02 बिस्वा के अलावा अन्य हिस्सा उभयपक्षकारान द्वारा विक्रय किया जा चुका है। अब तो मात्र संयुक्त खातेदारी में 2 बीघा 02 बिस्वा ही शेष रहा है। जो पक्षकारान के शामलाती का हिस्सा है। जिसके संबंध में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया है। आराजी नम्बर 1989/1 रकबा 8 बिस्वा को 10,00,000/–अक्षरे दस लाख रूपये मं विक्रय किया जा चुका है। इस तथ्य की अपीलार्थी को जानकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन निर्णय द्वारा अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया है वह विधिसम्मत है।

11. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रंकिया संहिता के आधार पर अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

12. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड एवं अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भीलवाडा के विस्तृत निर्णय अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अवलोकन किया गया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तथ्य अंकित किये हैं परन्तु प्रथमदृष्टया प्रकरण बनने, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने बाबत कोई विस्तृत विवेचन नहीं किया है।

13. अपीलार्थीगण द्वारा मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का अनुतोष चाहा है। राजस्व रेकार्ड से यह स्पष्ट है कि भूमि मैसर्स मोती मेटल इण्स्ट्रीज, भीलवाडा के नाम पर दर्ज है। खातेदार कम्पनी के अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 लगायत 4 जो पार्टनर्स/भागीदार हैं को सहखातेदार नहीं माना जा सकता है। यह महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु है। मेरे विनम्र अभिमत में मैसर्स मोती मेटल इण्स्ट्रीज, भीलवाडा खातेदार दर्ज है तथा कम्पनी के सभी पार्टनर्स कम्पनी एक्ट के प्रावधानों से परिभाषित होते हैं। ऐसे में कम्पनी के पार्टनर्स सहखातेदार नही है । वरन कम्पनी में हिस्से के भागीदार मात्र हैं। प्रथमदृष्टया सहखातेदार नहीं होने से कम्पनी पार्टनर्स के मध्य बंटवारे का प्रकरण नहीं बनता है। ऐसे में अपीलाण्ट अथवा रेस्पोडेण्ट्स किसी भी प्रकार के अस्थाई निषेधाज्ञा के अधिकारी नहीं होते हैं। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त विवेचन को आधार नहीं बनाया गया है परन्तु अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अतः अपील अपीलाण्ट्स खारिज योग्य पाई जाती है।

14. प्रकरण में विस्तृत परीक्षण से प्रकट होता है कि प्रथमदृष्टया खातेदार मैसर्स मोती मेटल इण्स्ट्रीज, भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

द्वारा भूमि गैर मुमकिन व बंजड होने के क्रम में काबिलकाश्त बनाने का कोई प्रयास नहीं किया जाकर कम्पनी के पार्टनर्स द्वारा स्वयं को सहखातेदार मानते हुए स्वयं के हिस्से/शेयर के अनुसार भूमि पर प्लाट काटकर गैर कृषि उपयोग में लिया है। तत्कालीन राजस्व कार्मिकों द्वारा तेरह पंथ संस्थान, भीलवाडा को प्लाट नम्बर 64, 65 (1111 वर्ग गज) का भी नामान्तकरण संख्या 3352 दर्ज करना जमाबंदी संवत 2072 से 2075 से प्रकट होता है। कृषि आराजियात का विधिक सम्परिवर्तन होने से पूर्व प्लाट के रूप में अथवा वर्गगज में बेचान किये जाने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किस आधार पर किया गया है, यह जांच का विषय है । अतः अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि के अविधिक रूप से अकृषि कार्य हेतु बेचान, व इस क्रम में नामान्तरकरण व राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज की विस्तृत जांच हेतु इस आदेश की एक प्रति जिला कलक्टर, भीलवाडा को भी प्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत कृषि भूमि के अविधिक उपयोग के प्रकरणों में विधि अनुसार कार्यवाही करने के समुचित अधिकार प्राप्त है। अपीलाण्ट द्वारा अपील मेमो में स्वीकार किया है कि उक्त आराजियात भीलवाडा शहर की घनी आबादी के मध्य अवस्थित होने से वादी संख्या 1, 2 व 3 ने भूखण्ड काटकर प्लान बनाकर समय–समय पर भिन्न–भिन्न व्यक्तियों को विक्रय कर दिये हैं। अपीलार्थीगण के खातेदार फर्म में भागीदार होने व प्रथमदृष्टया सहखातेदार प्रकट नहीं होने से अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों के तथ्य वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण अपीलाधीन प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं।

15. वर्तमान प्रचलित राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 1988 व 1989 का काश्तकार मैसर्स मोती मेटल इण्डस्ट्रीज,

श्री प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भीलवाडा ही दर्ज है परन्तु पार्टनर अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 3 के मध्य पार्टनरशिप हिस्सों का नामान्तरकरण दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में इस प्रकार दिखाया गया है कि प्रथमदृष्टया वे 3/4 व 1/4 हिस्से के सहखातेदार प्रदर्शित हो। अंकन के अन्त में खातेदार लिखा जाने से मैसर्स मोती मेटल इण्डस्ट्रीज, भीलवाडा के पार्टनर स्वयं को खातेदार/सहखातेदार परिभाषित कर बंटवाडे का दावा ले आये हैं जो प्रथमदृष्टया उचित नहीं माना जा सकता। अपीलाण्टगण मैसर्स मोती मेटल इण्डस्ट्रीज, भीलवाडा खातेदार के भागीदार/पार्टनर की हैसियत से कम्पनी में अपने हिस्से के आधार पर कम्पनी की सम्पति/कृषि आराजियात में हक अधिकार चाहते हैं तथा इस आधार पर ही अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहते हैं। परन्तु विस्तृत विवेचन उपरान्त मेरा विनम्र अभिमत है कि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्टगण को खातेदार कम्पनी के भागीदार के रूप में ही अधिकार प्राप्त होंगे ना कि सहखातेदार के रूप में।

16. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है ।

17. निर्णय आज दिनांक 1.5.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

1/5/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा